ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट–1, के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) ।
website: www.greaternoidaauthority.in
email id: authority@gnida.in

पत्रांक :– 63981 / ग्रे0नौ0 / वित्त / 2017–18 दिनांकः 30/11/2017

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की पुरानी चली आ रही अनेक आवासीय, ग्रुपहाउसिंग सोसायटी, को–ऑपरेटिव सोसायटी, बिल्डर्स, औद्योगिक, व्यवसायिक, संस्थागत तथा आई0टी0 की योजनाओं में दण्डात्मक ब्याज दर 17%, 18%, 20% अथवा 24% लागू रहा है। वर्तमान में बैंको द्वारा ब्याज दरें कम की गई है। उक्त के दृष्टिगत् प्राधिकरण की 109वीं बोर्ड बैठक में अधिकांश योजनाओं में निर्धारित ब्याज दर 12%, एवं दण्डात्मक ब्याज दर 15% को कम कर ब्याज दर/दण्डात्मक ब्याज 11% एवं 14 प्रतिशत का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। जिन पुरानी योजनाओं में दण्डात्मक ब्याज दर 17 प्रतिशत, 18, 20 एवं 24 का प्राविधान किया गया था, उन योजनाओं में भी 1 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज कम करने का प्रस्ताव मद संख्याः 110/5 मा0 बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उक्त प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

अतः जिन पूर्ववर्ती योजनाओं में दण्डात्मक ब्याज दर 17, 18, 20 एवं 24 प्रतिशत निर्धारित थी, उन्हें 1 प्रतिशत कम करते हुये कमशः 16, 17, 19 तथा 23 प्रतिशत किया जाता है। यह दरें 1 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होंगी।

(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
3. विशेषकार्याधिकारी (वी0) महोदया को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (नियोजन/उद्यान/सम्पत्ति/परियोजनाII–आर0/के0) को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ सहायकों को उपरोक्तानुसार गणना में आवश्यक संशोधन हेतु निर्देशित करना चाहें।
5. उप महाप्रबन्धक (आई0टी0/संस्थागत/उद्योग/अर्बन सर्विसेज/नियोजन) को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ सहायकों को उपरोक्तानुसार गणना में आवश्यक संशोधन हेतु निर्देशित करना चाहें।
6. वरिष्ठ कार्यपालक (..) इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ सहायकों को उपरोक्तानुसार गणना में आवश्यक संशोधन हेतु निर्देशित करना चाहें।
7. वरिष्ठ कार्यपालक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि सिस्टम में उपरोक्तानुसार प्रोग्राम तैयार कराये ताकि तदनुसार गणना का आगणन इंटीमेशन में होता रहें।
8. प्रबन्धक/लेखाकार (वित्त) को इस निर्देश से कि आगे गणना का परीक्षण उपरोक्तानुसार करेंगें।
9. गार्ड फाइल।

महाप्रबन्धक (वित्त)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट–1, के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
website: www.greaternoidaauthority.in
email id: authority@gnida.in

पत्रांक :– 6865 /ग्रे0नौ0 /वित्त/2017–18 दिनांक: 28/11/2017

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.11.2017 के अनुपूरक मद संख्याः 110/8 द्वारा प्राधिकरण में एकमुश्त धनराशि के भुगतान पर एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया है, जिसके अनुसार जो आवंटी इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें अपने आवंटन के विरूद्ध अतिदेय धनराशि एवं भविष्य की किश्तों का एकमुश्त समाधान योजना अनुमन्यता की तिथि मूलधन अगणित करते हुये कुल कैपिटलाईज बैल्यू (मूल्य) पर निम्नानुसार छूट प्राप्त होगीः–

1. 100 प्रतिशत भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट।
2. 75 प्रतिशत भुगतान पर 3.50 प्रतिशत की छूट।
3. 50 प्रतिशत भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट।

एकमुश्त समाधान योजना पर 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत जमा की अनुमन्यता उन्ही आवंटियों को अनुमन्य की जायेंगी जिनकी एकमुश्त समाधान योजना की तिथि के उपरान्त किश्तों की देयता एक से ज्यादा हो। ऐसा करते समय अवशेष 25 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत क्रमशः की देयता भी आगे की देय किश्तों में योजना में अनुमन्य ब्याज की दर के साथ निर्धारित की जायेंगी, जिसकी एक शपथपत्र भी आवंटी से लिया जायेगा कि वह उक्त समय अवधि में निर्धारित की जा रही किश्त समय से भुगतान करेगा अन्यथा डिफाल्ट होने पर उस पर नियमानुसार दण्डब्याज आरोपण के साथ प्राधिकरण द्वारा इस सन्दर्भ (डिफाल्टर) में व्यवहरित नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। एकमुश्त समाधान योजना आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31.03.2018 तक प्रभावी रहेंगी।

29/11/17
(हौसिला प्रसाद वर्मा)
महाप्रबन्धक (वित्त)

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
3. विशेषकार्याधिकारी (वी0) महोदया को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (नियोजन/उद्यान/सम्पत्ति/परियोजनाा–आर0/के0) को सूचनार्थ।
5. उप महाप्रबन्धक (आई0टी0/संस्थागत/उद्योग/अर्बन सर्विसेज/नियोजन) को सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ कार्यपालक (...) को सूचनार्थ।
7. वरिष्ठ कार्यपालक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि सिस्टम में उपरोक्तानुसार प्रोग्राम तैयार कराये ताकि तदनुसार गणना का आगणन इंटीमेशन में होता रहें।
8. गार्ड फाइल।

महाप्रबन्धक (वित्त)